

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर  
व इजलास श्री बद्दीनारायण, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबुलाल पुत्र वीरमाराम 2. राजकुमार पुत्र बाबूलाल 3. वीरमा पुत्र मुला जाति भील, निवासी सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. वैरसी पुत्र कानजी जाति भील निवासी सेड़वा 2. कोकिला पुत्री सखीराम पत्नी मंगलाराम जाति भील, निवासी सालारिया, तहसील सेड़वा 3. सुनीता पुत्री सखीराम पत्नी हालाराम जाति भील, निवासी जानपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा सेड़वा 5. तहसीलदार सेड़वा।

मुकदमा नम्बर : 13/2024

वाद बाबत : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

बाबुलाल वगैरा बनाम वैरसी वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री श्रीराम विश्णोई वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री मोहनसिंह सोढा मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उनके कार्यालय पत्रांक: भूअ./2025/1110 दिनांक 14.10.2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव हेतु अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है-

क्र. सं.	नाम खातेदारान्	ग्राम	ख. नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	बरंग
1	कोकीला पुत्री सखीराम 1/6 हिस्सा, सुनीता पुत्री सखीराम 1/3 हिस्सा, वैरसी पुत्र कानजी 1/2 हिस्सा कौम भील सा. देह खातेदार रहन कोकिला का हिस्सा एसबीबीजे शाखा सेड़वा व वैरसी का हिस्सा भूमि विकास शाखा वालोदरा	सेड़वा	204	1-7159	बा.दो.	हरा



सहायक कलक्टर  
(SDO) सेड़वा



राजस्व वाद संख्या 13/2024  
उनवान- बाबुलाल वगैरा बनाम वैरसी वगैरा

2.	बाबुलाल पुत्र वीरमाराम 32/53, राजकुमार पुत्र बाबूलाल का 21/53 कौम भील सा.देह खातेदार।	सेड़वा	204	1.7158	बा.दो	गुलाबी
3.	वीरमाराम पुत्र मूलाराम कौम भील सा.देह खातेदार एसबीबीजे शाखा सेड़वा	सेड़वा	204	1.7159	बा.दो	पीला

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की पालना अनुरूप विभाजन की अन्तिम डिक्री नक्शे में अलग-अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपर्युक्तानुसार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्ठा में तरमीम करने एवं पृथक् पृथक् खातेदारी में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।



बसबत मेरे हस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29/10/2025 को जारी की गई।

29.10.2025  
(बद्रीनारायण आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड  
अधिकारी(एसडीओ) सेड़वा

वाद के खर्चे

मुद्दै	रूपया	पे.	मुद्दालय	रूपया	पे.
स्टाम्प अर्चोदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पड्मनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
			मीजान		
मीजान					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकॉन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे।

सहायक कलक्टर  
(SDO) सेड़वा

2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(एसडीओ), सेड़वा  
(पीठासीन अधिकारी : श्री बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :-13/2024

वाद बाबत :-राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बाबुलाल पुत्र वीरमाराम 2. राजकुमार पुत्र बाबूलाल 3. वीरमा पुत्र मुला जाति भील, निवासी सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. वैरसी पुत्र कानजी जाति भील निवासी सेड़वा 2. कोकिला पुत्री सखीराम पत्नी मंगलाराम जाति भील, निवासी सालारिया, तहसील सेड़वा 3. सुनीता पुत्री सखीराम पत्नी हालाराम जाति भील, निवासी जानपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा सेड़वा 5. तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण- वादी वकील - श्री श्रीराम विश्‍नोई  
प्रतिवादी संख्या 01 के वकील- श्री मोहनसिंह सोढा

:-निर्णय :-

दिनांक:- 29/10/2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 23.09.2025 को मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस संदर्भ में तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भूअ./2025/1110 दिनांक 14.10.2025 द्वारा मौजा सेड़वा पटवार हल्का सेड़वा भूअ.नि. सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा नम्बर 204 रकबा 5-1476 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष के अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व विभाजन प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत जाहिर होता है कि तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव विधि ~~संज्ञ~~ रूप से तैयार किया गया। सभी पक्षकारान को सूचना के नोटिस जारी किये गये एवं मौके पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। अतः तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खातेदारान् के सामने अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक् से घोषित की जाती है-



सहायक कलक्टर  
(SDO) सेड़वा

क. सं.	नाम खातेदारान्	ग्राम	ख. नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	बरंग
1	कोकीला पुत्री सखीराम 1/6 हिस्सा, सुनीता पुत्री सखीराम 1/3 हिस्सा, वैरसी पुत्र कानजी 1/2 हिस्सा कौम भील सा. देह खातेदार रहन कोकिला का हिस्सा एसबीबीजे शाखा सेड़वा व वैरसी का हिस्सा भूमि विकास शाखा बालोतरा	सेड़वा	204	1-7159	बा.दो.	हरा
2.	बाबुलाल पुत्र वीरमाराम 32/53, राजकुमार पुत्र बाबूलाल का 21/53 कौम भील सा.देह खातेदार।	सेड़वा	204	1.7158	बा.दो	गुलाबी
3.	वीरमाराम पुत्र मूलाराम कौम भील सा. देह खातेदार एसबीबीजे शाखा सेड़वा	सेड़वा	204	1.7159	बा.दो	पीला

तहसीलदार सेड़वा को तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.10.2025 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक ..... को खुले इजलास में सुनाया गया।

29.10.2025

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड  
अधिकारी (एसडीओ) सेड़वा

2

प्रेषित:-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सेडवा (जिला- बाडमेर)

विषय:- राजस्व वाद संख्या 13/2024 अनवान बाबुलाल वगैरह बनाम वेरसी वगैरह  
अन्तर्गत RT<sub>Act</sub> धारा 153, 188 में मौका रिपोर्ट भेजने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2024 अनवान बाबुलाल वगैरह बनाम वेरसी वगैरह में गौजा सेडवा के खसरा 204 रकबा 5.1476 हेक्टर में अन्तर्गत धारा 153, 188 RT ACT में तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी अधौहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 07.10.2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्र के सलंगन आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार

भवदीय  
तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा  
तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

मौका रिपोर्ट  
( विभाजन प्रस्ताव )

सहायक कलेक्टर  
(SDO) सेरवा

मैं जी.लाराम श्री (नाम) तहसीलदार सेरवा, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, सेरवा के आदेश क्रमांक 13/2024 निर्णय दिनांक 23.09.2024 पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 07.09.2024 समय बजे आराजी खसरा नम्बर-20.4 वाके ग्राम सेरवा पटवार हल्का सेरवा पर श्री लाराम श्री नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, सेरवा में विचाराधीन प्रकरण संख्या-13/2024 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक सेरवा दिनांक सेरवा द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	<u>वीरभाराम</u>	<u>भूलाराम</u>	65	श्रील	वादी
2.	<u>बाबूलाल</u>	<u>वीरभाराम</u>	40	श्रील	वादी
3.	<u>रामकुमार</u>	<u>बाबूलाल</u>	25	श्रील	वादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

क्र.सं.	वादिदार	क्र.सं.	रकबा	दस्ता	बरा
1.	कोकिला पुत्री सजीराम 1/6 सुनीता पुत्री सजीराम 1/6 वेरकी पुत्र कान जी 1/2 कोम श्रील शा' देह वतियार रहन कोकिला का हिस्सा 5000 शा. क्षेत्र व वेरकी का हिस्सा विदाम शाबा कालिबरा	204	17159	कालिबरा	शा
2.	बाबूलाल पुत्र वीरभाराम 3/3 रामकुमार पुत्र बाबूलाल का 2/53 कोम श्रील शा' देह वतियार	204	17158	कालिबरा	गाली
3.	वीरभाराम पुत्र भूलाराम कोम श्रील शा' देह वतियार रहन 5000 शाबा क्षेत्र	204	17159	कालिबरा	पीला

तहसीलदार (पु.अ.) सेरवा

अर्थ यो 1

उक्त विभाजन प्रस्ताव गौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। गौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/ प्रतिवादी.
01 -	वीरभाराम	भूलाराम	भील		
02 -	बाबूलाल	वीरभाराम	भील		बाबूलाल
03 -	राजकुमार	बाबूलाल	भील		राज कुमार


निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-


क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी.
		NIL			

गौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
01	दालाराम	चेलराम	35	भील	हिंजाकपाली - दालाराम
02	दुआराम	राधाराम	55	भील	हिंजाकपाली - दुआराम
03	लिच्छुराम	जखाराम	50	भील	हिंजाकपाली - लिच्छुराम
04	दिनेशकुमार	भगवाणराम	18	भील	हिंजाकपाली - दिनेशकुमार

इस प्रकार आज दिनांक 07.10.2025 को यह गौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

  
(मग) शिवाजी  
पटवारी (सहायक)  
तहसील, सोडवा

  
AOK  
हस्ताक्षर  
भू. अ. निरीक्षक  
वृत्त.....

  
हस्ताक्षर  
ना. तह.  
तहसीलदार  
..... वडसीलदार (भु.ता.) सोडवा

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 07/10/2025 02:51:06 PM

जिला : बाड़मेर


तहसील : सेडवा

भू. अ. नि. क्षेत्र : सेडवा

पटवारी हल्का : सेडवा

ग्राम : सेडवा

सहायक कमिश्नर  
(S.D.O) सेडवा



सकेत  
1579/205 कोकिला पुत्री सखीराम  
सुनीता पुत्री सखीराम  
वेरसी पुत्र कानजी  
576/205

2. बाबूलाल पुत्र वीरम  
राजकुमार पुत्र बाबूलाल  
Scale 1:500

3. वीरमा पुत्र मूला

- खसरा संख्या : 204 क्षेत्रफल : 5.1476 Hectare खाता संख्या : 115 पुराना खाता संख्या : 95  
भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बा.दोयम [ 5.1476, 9.86 ]  
1.) कोकिला पुत्र सखीराम हिस्सा- 1/18 जाति- भील सा. देह खातेदार हिस्सा-1/18 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सेडवा में  
2.) बाबूलाल पुत्र वीरमाराम हिस्सा- 32/159 जाति- भील सा. देह खातेदार  
3.) राजकुमार पुत्र बाबूलाल हिस्सा- 7/53 जाति- भील सा. देह खातेदार  
4.) वेरसी पुत्र कानजी हिस्सा- 1/6 जाति- भील सा. देह खातेदार हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा  
5.) वीरमा पुत्र मूला हिस्सा- 1/3 जाति- भील सा. देह खातेदार हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सेडवा में  
6.) सुनीता पुत्र सखीराम हिस्सा- 1/9 जाति- भील सा. देह खातेदार

वीरमा/मूला

बाबूलाल  
राज कुमार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

ROK

- नोट :- 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।  
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।  
3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

दिलीप कुमार

दिलीप कुमार

दिलीप कुमार

दिलीप कुमार  
(मंगाराम चौधरी)  
पटवारी (भू.अ.) सेडवा  
तहसील-सेडवा